


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व जतिना हुक्म की में जारी।</p>
<p>27/3/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... जिला कलेक्टर उपस्थित..... अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 27/3/25 को पेश हो।</p>	
<p>8/5/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... जिला कलेक्टर उपस्थित..... अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 19/6/25 को पेश हो।</p>	
<p>19/6/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई/वकील उभय पक्ष एवं गवाह श्री..... जिला कलेक्टर उपस्थित..... अतः पत्रावली पूर्वदिशानुसार दि. 21/7/25 को पेश हो।</p>	
<p>27/3/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित जहाँ हेरु अवरसर चाहा जो दिया गया। पत्रावली वपने अताब में दिनांक 27/3/25 को पेश हो।</p>	
<p>7/8/25</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष प्रार्थना पत्र में वाणी वादग्रह अराजी नम्बर 954/599 रकबा 1.5100 हेक्टेयर भूमि की मौज एवं राजस्व रकम की प्रव्याप्ति हेरु सहमत है। इसलिये आदेश दिया जाता है कि शीने पक्ष अराजी नम्बर 954/599 रकबा 1.5100 हेक्टेयर भूमि की पत्रावली के निरस्तकरण देने तक प्रव्याप्ति अताबे में रहे। एसा न्यायालय राजा द्वारा प्रसारित दरखाशी निवेदाज्ञा का दखलन अदिश दिनांक 25/10/2023 को कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फेराल सुमा हेमलवर्मा से कम है।</p>	

अपठण्ड अधिकारी  
इंगल  
जिला-चित्तौड़गढ़